न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 217/2013 दायर दिनाँक 03.10.2013

वादीगण

मन्दिर मूर्ति नाबालिग शाश्वत श्री नृसिंहजी भगवान जरिये संरक्षक

1. आनन्दकुमार पुत्र श्री गणपतराम, उम्र–35 वर्ष, जाति–जाट, निवासी–अम्बापा, तह–डीडवाना(Withdraw)
2. छोटूराम पुत्र श्री धुड़ाराम, उम्र–38 वर्ष, जाति–जाट, निवासी–रणसीसर चारण, तह–डीडवाना, (वादी सं. 2 (Withdraw)
3. महावीर प्रसाद तिवाड़ी पुत्र प्रेमसुख तिवाड़ी, उम्र–60वर्ष, जाति–ब्राहम्ण, नि.ललासरी त. डीडवाना
4. चुनापुरी पुत्र श्री गोपालपुरी, उम्र–41 वर्ष, जाति–गुंसाई नि. बरांगणा, तह–डीडवाना जरिये वाद मित्र संरक्षक शाश्वत नाबालिग मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके देह।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. रहमान पुत्र गफुर खां उम्र 54 वर्ष जाति कायमखानी निवासी डीडवाना
3. राकेश मोहन पुत्र कुंभाराम उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी खुनखुना गांव तहसील डीडवाना

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 21 सिविल प्रकिया संहिता एवं धारा 115 साक्ष्य अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता वादीगण
2. श्रीमति संतोष जाजू अधिवक्ता प्रार्थीनी

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 19.09.2022

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का किया कि वादीगण नाबालिग शाश्वत मूर्ति है जिसके खातेदारी की राजस्व भूमि मौजा डीडवाना, पटवार हल्का डीडवाना, भू–अभिलेख निरीक्षक डीडवाना, तह डीडवाना, जिला–नागौर में अवस्थित खसरा न. 1013 रकबा 17 बीघा 06 बिश्वा, खसरा न. 3099 रकबा 0.03 गैर मुमकिन बैरा, खसरा न. 3100 रकबा 0.15 बिस्वा, खसरा न. 3101 करबा 19 बीघा 13 बिश्वा, खसरा न. 3130 रकबा 09 बिश्वा, कुल खसरान 5 कुल रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में डीडवाना शहर के जिला बनने की ... है जिससे शहर के भूमाफिया ... अवैध, अनाधिकृत, नाजायज बिना किसी विधिक अधिकार कब्जा कर प्लाट काटकर शहर के

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

भोले–भाले लोगों को अवैध हस्तांतरण करने पर आमादा है जिससे नाबालिग मूर्ति की राजस्व भूमि पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जिससे उक्त भूमि को भूमाफियाओं से बचाने हेतु नृसिंह भगवान के मंन्दिर के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों की ओर से वाद मित्र के जरिये वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना जरूरी आने से वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने जबरन कब्जा कर रातों रात भूखण्ड कांट–काट कर जरिये स्टाम्प बेचाण व हस्तांतरण करने की धनकियां दी तथा सम्पति को खुर्दबुर्द करने की प्रबल संभावना हो गई जिससे वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। तथा इस आशय का अनुतोष मांगा कि वाद के पैरा सं. 1 में वर्णित राजस्व भूमि पर किसी भी प्रकार कोई कब्जा, अवरोध, बाधा या हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य को करावे। जैसे ही वादीगण द्वारा उक्त दावा पेश किया गया तब अधिवक्ता श्रीमती संतोष जाजू द्वारा दिनांक 03.10.2013 को मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गई कि विवादित भूमि उसकी पुश्तैनी सम्पत्ति है इसलिए सुना जावे। तब अधिवक्ता श्रीमती संतोष जाजू को निर्देश दिया गया कि आप पक्षकार बनने की विधिक कार्यवाही अथवा दरख्वास्त पेश करें। तब अधिवक्ता श्रीमती संतोष जाजू की ओर से एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.10.2019 को अन्तर्गत धारा 11 व 21 सिविल प्रकिया संहिता एवं धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा श्रीमानजी के समक्ष उक्त झूंठा वाद पेश किया गया तथा वादगत भूमि से पक्षकारान का कोई भी लेना–देना नहीं है तथा न्यायालय को धोखा देकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

उक्त वाद वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा दु:रभि सन्धि करके पेश किया गया हैं तथा उक्त भूमि से वादीगण व प्रतिवादीगण का कोई भी लेना–देना नहीं है। तथा ना ही उक्त वाद पेश करने का वादाधार प्राप्त है तथा ना ही वादीगण को कोई लोकस स्टेण्डाई ही है।
उक्त भूमि प्रार्थीनी के परिवार की पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रार्थीनी के परिवार का व्यक्तिगत मन्दिर बना हुआ है तथा प्रार्थीनी के परिवार की खातेदारी वर्षों से चली आ रही है। दिनांक 27.03.2015 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के द्वारा उक्त भूमि को प्रार्थीनी के परिवार की मानते हुए–ललितकुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार न. मु. 70/14 दावा डिक्री किया गया।
दिनांक 14.05.2013 को सिविल न्यायाधीश डीडवाना के द्वारा एक वाद ललितकुमार बनाम नगरपालिका डीडवाना उक्त खसरे के रास्ते के बारे में दावा डिक्री किया गया।

उक्त दावा घोषणात्मक व चिर व्यादेश प्राप्ति का किया गया था जिसमें सिविल न्यायालय ने उक्त खसरों पर वादीगण ललितकुमार जाजू का व परिवार का ही कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग मानते हुए उक्त भूमि को प्रार्थीनी के परिवार की पीढी दर पीढी माना है।
उक्त दोनों ही दावों में तहसीलदार डीडवाना [illegible] क्ति पूर्ण जवाब देते हुए प्रार्थीनी के परिवार की व्यक्तिगत भूमि [illegible] है [illegible] मौका रिपोर्टों में भी उक्त भूमि पर कब्जा, [illegible] ललितकुमार [illegible] माना है तथा प्रार्थीनी के परिवार के नाम खातेदारी में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि को लेकर कई विभिन्न कार्यालयों में यथा–उपखण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर, नागौर, श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर डीडवाना, मानवाधिकार आयोग जयपुर, लोकायुक्त जयपुर, प्रधानमंत्री कार्यालय तक में शिकायतों की तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर श्रीमानजी के द्वारा भेजी गई जिसमें स्पष्ट कर दिया कि उक्त भूमि प्रार्थीनी के परिवार की अर्थात् ललितकुमार जाजू वगैरह की पुश्तैनी भूमि है तथा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई लेना–देना नहीं है तथा ना ही कोई हक व अधिकार है।

राजाराम कयाल की शिकायत पर धारा 145 सी.आर.पी.सी. का मुकदमा ललितकुमार जाजू की उक्त भूमि के बारे में किया गया जिसमें श्रीमानजी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 06.12.2016 को समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर यह स्पष्ट कर दिया कि खसरा नम्बर 3100, 3101, 3130, 1013 रकबा 42 बीघा 06 बिश्वा भूमि ललितकुमार जाजू व सन्तोष जाजू की व्यक्तिगत भूमि मानी है तथा उसमें बना मन्दिर उनका बापी (पुश्तैनी) माना है तथा कब्जा, उपयोग व उपभोग भी प्रार्थीनी का मानते हुए 145 सी.आर.पी.सी. का इस्तगासा खारिज कर दिया।

इस प्रकार समस्त दस्तावेजात व तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा षडयंत्र पूर्वक दुःरभि सन्धि करके उक्त वाद पेश किया गया हे जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है।

जब माननीय न्यायालय द्वारा एक बार निर्णय दिया जा चुका है तो न्यायालय उस निर्णय से धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत विबन्धित है तथा न्यायालय कोई भी अन्य आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं रखता है।

उक्त भूमि के बाबत वादी छोटूराम व प्रतिवादी राकेशमोहन ने यह लिखकर दिया है कि उक्त भूमि ललितकुमार जाजू की व्यक्तिगत भूमि है तथा सार्वजनिक भूमि नहीं है तथा हमारा इस भूमि से कोई भी लेना–देना नहीं है। तथा उसे झूंठा पक्षकार बनाया गया है।

जब इस विवादित भूमि के बारे में श्रीमानजी के द्वारा निर्णय किया जा चुका है तो वापिस उसी विवाद्यक प्रश्न पर सुनने का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है तथा धारा 115 साक्ष्य अधिनियम से विबन्धित है।

दिनांक 27.03.2015 श्रीमानजी के द्वारा प्रार्थीनी के पति श्री ललितकुमार जाजू के द्वारा किये गये वाद को डिकी कर दिया उसकी अपील वादीगण के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष तृतीय पक्षकार के रूप में कर दी है। इस प्रकार समस्त तथ्य श्रीमानजी के समक्ष आ चुके हैं।

श्रीमानजी को उक्त वाद किसी भी प्रकार से सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है तथा ना ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा ना ही वादीगण को किसी अन्य की भूमि के सम्बन्ध में वाद लाने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत विबन्धित है।

इसलिए वादीगण का वाद श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अभाव में धारा 11 धारा 21 व धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत खारिज करने की प्रार्थना की गई। जिसकी नकल वादीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। दिनांक 27.06.2019 को वादी संख्या 2 छोटूराम ने उक्त भूमि ललितकुमार जाजू की व्यक्तिगत मानते हुए तथा इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2015 अनुवानी–ललितकुमार जाजू बनाम राज. सरकार [illegible] वा डिकी किया गया है उसको मानते हुए तथा [illegible] होने का अभिवचन करते हुए दावा विड्रो कर लिया। दिनांक 27.06.2019 को ही प्रतिवादी सं. 3 राकेश मोहन ओगरा ने भी एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

(2) सी.पी.सी. को इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि ललितकुमार जाजू की व्यक्तिगत है तथा इस विवादित भूमि का दावा श्रीमानजी के द्वारा पूर्व में ही डिक्री किया जा चुका है तथा मुझे प्रतिवादी के रूप में झूंठा पक्षकार बनाया गया है। इसलिए पक्षकार के रूप में हटाया जावे तथा दावा खारिज किया जावे।

इसी प्रकार वादी आनन्दकुमार ने भी दिनांक 17.08.2021 को प्रार्थीनी संतोषजाजू के प्रार्थना–पत्र का जवाब स्वीकारोक्तिपूर्ण देकर यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त विवादित भूमि से पक्षकारान का कोई भी हित नहीं है। वादगत भूमि से पक्षकारान का कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी पूर्व में पक्षकारान को नहीं थी। वादीगण को उक्त वाद में ना ही तो वाद हेतुक प्राप्त है तथा ना ही वादीगण को कोई लोकस स्टैण्डाई ही है।यह बात सही है कि उक्त भूमि प्रार्थीनी के परिवार की पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थीनी के परिवार का व्यक्तिगत मन्दिर बना हुआ है। सम्पूर्ण दस्तावेजों को देखने से पता चला कि उक्त भूमि प्रार्थीनी के परिवार की व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि है। वादी को वर्तमान जमाबन्दी में केवल बापी मन्दिर नृसिंहजी के नाम होने से गलतफहमी हो गई थी कि यह सरकारी मन्दिर की भूमि है। क्योंकि प्रार्थीनी के परिवार के नाम से नामान्तरण नहीं भरा गया था जबकि श्रीमानजी के न्यायालय से ही दिनांक 27.03.2015 को प्रार्थीनी के परिवार की व्यक्तिगत भूमि मानते हुए ललितकुमार बनाम राजस्थान सरकार न.मु. 70/14 डिक्री किया गया । जिसकी अपील मुझ वादी के द्वारा मूर्ति मन्दिर बनाम ललितकुमार आदि अपील संख्या 48/2015 राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष की गई थी जो दिनांक 30.01.2020 को खारिज कर दी गई। इसलिए उक्त दावा वादीगण द्वारा चलाने का कोई औचित्य नहीं है। समस्त तथ्यों की जानकारी होने पर वादी ने स्वयं ही उक्त अपील Withdraw कर खारिज करवा दी। इस मद में अन्य सभी तथ्य दस्तावेजी होने के कारण स्वीकार है तथा इन्कार नहीं किया जा सकता। धारा 145 सी.आर.पी.सी. का परिवाद श्रीमानजी के द्वारा ही खारिज किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थीनी के परिवार ललितकुमार आदि का ही कब्जा, उपयोग, उपभोग है अन्य किसी का भी नहीं है। यह सही है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2015 को उक्त वाद का निर्णय प्रार्थीनी के परिवार के पक्ष में कर दिया गया। इसलिए श्रीमानजी को अब उक्त भूमि सम्बन्धी किसी भी वाद को सुनने की श्रवणाधिकारिता नहीं रही है। वादी छोटूराम व प्रतिवादी राकेश मोहन ने भी अपना दावा Withdraw कर लिया है, जिसमें उन्होंने भी उक्त भूमि को प्रार्थीनी के परिवार की खातेदारी की ही माना है। यह सही है कि श्रीमानजी के द्वारा दिनांक 27.03.2015 को ललितकुमार बनाम तहसीलदार दावा डिक्री किया था जिसमें हम वादीगण पक्षकार नहीं थे तथा 'तृतीय पक्षकार' के रूप में राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील की थी जो दिनांक 30.01.2020 को खारिज हो चुकी है। समस्त तथ्यों की सही जानकारी होते ही वादी ने उक्त अपील Withdraw कर ली जिसकी नकल पेश कर दी गई है।

इस प्रकार वादी आनन्दकुमार द्वारा प्रार्थी[illegible] श्रीमती संतोष जाजू के प्रार्थना–पत्र धारा 11 [illegible] का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त वाद श्रवणाधिकार [illegible]धिकार के अभाव में खारिज करने का निवेदन किया। पक्षकारान के अधि[illegible]ओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी अधिवक्ता श्रीमती संतोष जाजू के प्रार्थना[illegible] में मुख्य विवाद्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि 'उक्त वादीगण के वाद को इस न्यायालय द्वारा श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है तथा उक्त वाद धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायालय विबन्ध होने खारिज किये जाने योग्य है? प्रार्थीनी अधिवक्ता श्रीमती संतोष जाजू द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समस्त बिन्दुओं को दोहराते हुए समस्त दस्तावेजात व उक्त विवादित भूमि बाबत हुए निर्णयों का हवाला दिया गया। वादी आनन्दकुमार द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का स्वीकारोक्तिपूर्ण जवाब दिया गया तथा वाद को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज करने का निवेदन किया। इसके साथ वादी संख्या 2 छोटूराम जो एक अधिवक्ता है, ने भी अपना वाद विड्रो कर लिया तथा प्रतिवादी सं. 3 राकेश मोहन ने भी अपना नाम पक्षकार के रूप से हटा लिया तथा सभी ने यह भी स्पष्ट कर दिया। कि कस्बा डीडवाना में स्थित खसरा न. 1013, 3099, 3100, 3101, 3130 कुल भूमि 42 बीघा 06 बिश्वा ललितकुमार जाजू की व्यक्तिगत भूमि है तथा सार्वजनिक भूमि नहीं है तथा ललितकुमार जाजू का ही कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग लगातार चला आ रहा है तथा अन्य किसी का नहीं है। समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 27.03.2015 को राजस्व वाद संख्या 70/2014 ललित कुमार बनाम राजस्थान सरकार आदि इसी न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का वाद डिक्री किया गया तथा उक्त वाद की अपील इस वाद के वादीगण द्वारा मूर्ति मन्दिर आदि बनाम ललितकुमार आदि अपील संख्या 48/2015 राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष तृतीय पक्षकार के रूप में की गई जो दिनांक 30.01.2020 को राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपीलान्ट आनन्दकुमार वगैरह की जो कि इस वाद के वादीगण हैं, की उक्त तृतीय पक्षकार के रूप में की गई अपील खारिज कर दी गई। इसी के साथ ही उक्त निर्णय की एक अन्य अपील रामनिवास मनोजकुमार जयरामाराम आदि बनाम राज. सरकार अपील सख्या 56/2015 राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष तृतीय पक्षकार के रूप में धारा 96 सी.पी.सी. के तहत की गई, वह भी दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दी गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा उक्त विवादित भूमि के समस्त निर्णयों को दस्तावेजात, मौका रिपोर्टों एवं पत्रावली पर उपस्थित सभी दस्तावेजों का विस्तृत विवेचनकिया जाकर की गई है जो कि मनन किये जाने योग्य है।

इस प्रकार उक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि इसी न्यायालय द्वारा तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी उक्त भूमि के सम्बन्ध में निर्णय दिया जा चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई भी लेना–देना नहीं है। उक्त पत्रावली में आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये हुए हैं। लेकिन उक्त वाद मेरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के सम्बन्ध में धारा 11 व धारा 21 सी.पी.सी. व धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत विबन्धित होने से किसी भी तरह की सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के प्रार्थना–पत्र स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। समस्त दस्तावेजात का अतिगहनता से अवलोकन करने व विभिन्न निर्णयों व समस्त उच्च अधिकारियों की तथ्यात्मक रिपोर्टों से स्पष्ट है कि उक्त वादगत खसरों की भूमि प्रार्थीनी श्रीमति संतोष जाजू व ललित जाजू की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है व इन्हीं का ही कब्जा, काश्त, स्वामित्व, उपयोग व उपभोग है तथा अन्य किसी को भी उक्त भूमि में हक अधिकार नहीं है। वादीगण को उक्त ... लेने का कोई भी अधिकार नहीं है तथा ना ही वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतुक व वादाधार ही प्राप्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त वाद दुःरभि सन्धि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

करके सही तथ्यों को छुपाकर पेश किया है जो किसी भी प्रकार से संधारण करने योग्य नहीं है । वादीगण व अन्य किसी भी व्यक्ति को उक्त वादगत भूमि के बारे में किसी भी प्रकार से कोई लोकस स्टेण्डाई नही हैं । इसलिए वाद चलने योग्य नहीं होने से वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। इस न्यायालय के द्वारा उक्त खेत खसरों की डिक्री (निर्णय) दिनांक 27.03.2015 को जारी कर देने के कारण उक्त वाद को ग्रहण करने एवं श्रवण करने का क्षेत्राधिकार भी धारा 11 व 21 सिविल प्रकिया संहिता के तहत इस न्यायालय को नहीं है तथा यह न्यायालय धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत विबन्धित है।

– : आदेश : –

वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा दुःरभि सन्धि करके उक्त दावा पेश किया है तथा वादीगण को उक्त वाद को पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीनी श्रीमति सन्तोष जाजू व ललित जाजू की पुश्तैनी व व्यक्तिगत है तथा इन्ही का कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग है। वादीगण को किसी भी प्रकार से वाद पेश करने की लोकस स्टैण्डाई नहीं है तथा प्रार्थीनी अधिवक्ता श्रीमती संतोष जाजू का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 21 सिविल प्रकिया संहिता एवं धारा 115 साक्ष्य अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से इस न्यायालय का यह अभिमत है कि उक्त वाद न्यायालय को सोमोटो (SUO MOTO) ही क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अभाव में प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज कर देना चाहिए था। इस न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि का निर्णय दिनांक 27.03.2015 को कर दिया गया है तथा अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा भी उक्त विवादित भूमि का ललित जाजू के पक्ष में निर्णय किया जा चुका है। उक्त वाद को ग्रहण करने व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से तथा न्यायालय अपने निर्णय से विबन्धित होने के कारण वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 19.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 217/2013 दायर दिनाँक 03.10.2013

वादीगण

मन्दिर मूर्ति नाबालिग शाश्वत श्री नृसिंहजी भगवान जरिये संरक्षक

1. आनन्दकुमार पुत्र श्री गणपतराम, उम्र–35 वर्ष, जाति–जाट, निवासी–अम्बापा, तह–डीडवाना(Withdraw)
2. छोटूराम पुत्र श्री धुड़ाराम, उम्र–38 वर्ष, जाति–जाट, निवासी–रणसीसर चारण, तह–डीडवाना, (वादी सं. 2 (Withdraw)
3. महावीर प्रसाद तिवाड़ी पुत्र प्रेमसुख तिवाड़ी, उम्र–60वर्ष, जाति–ब्राहम्ण, नि.ललासरी त. डीडवाना
4. चुनापुरी पुत्र श्री गोपालपुरी, उम्र–41 वर्ष, जाति–गुंसाई नि. बरांगणा, तह–डीडवाना जरिये वाद मित्र संरक्षक शाश्वत नाबालिग मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके देह।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. रहमान पुत्र गफुर खां उम्र 54 वर्ष जाति कायमखानी निवासी डीडवाना
3. राकेश मोहन पुत्र कुंभाराम उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी खुनखुना गांव तहसील डीडवाना

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 21 सिविल प्रकिया संहिता
एवं धारा 115 साक्ष्य अधिनियम

दिनाँक 19.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता वादीगण व श्रीमति संतोष जाजू अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा दुःरभि सन्धि करके उक्त दावा पेश किया है तथा वादीगण को उक्त वाद को पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीनी श्रीमति सन्तोष जाजू व ललित जाजू की पुश्तैनी व व्यक्तिगत है तथा इन्ही का कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग है। वादीगण को किसी भी प्रकार से वाद पेश करने की लोकस स्टैण्डाई नहीं है तथा प्रार्थीनी अधिवक्ता श्रीमती संतोष जाजू का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 21 सिविल प्रकिया संहिता एवं धारा 115 साक्ष्य अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से इस न्यायालय का यह अभिमत है कि उक्त वाद न्यायालय को सोमोटो (SUO MOTO) ही क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अभाव में प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज कर देना चाहिए था। इस न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि का निर्णय दिनांक 27.03.2015 को कर दिया गया है तथा अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा भी उक्त विवादित भूमि का ललित जाजू के पक्ष में निर्णय किया जा चुका है। उक्त वाद को ग्रहण करने व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से तथा न्यायालय के निर्णय से विबन्धित होने के कारण वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है, डिक्री की पर्चा जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिग ₹..... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..... आज की तारीख से अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner